प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला **ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुरथाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर** वर्ष **2023**.......
   प्र0इ0रि0 सं. ....81./2023.............................दिनांक.....12/4/2023....................

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण**(संशोधन)अधि. 2018**.......... धारायें...........**7**
   (II) * अधिनियम ....धारायें ....
   (III) * अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....216.............. समय ......1:30P.M.
   (ब) * अपराध घटने का वार.....**सोमवार**....दिनांकः–27.01.2023 समय 02:15 **पी.एम से**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **25.01.2023**

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
   (अ)पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–...
   (ब)*पता......**सवाईमाधोपुर**..
   ....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम श्री **अनिल बंजारा**...................
   (ब) पिता/पति का नाम ....**श्री पप्पू राम**
   (स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष...
   (द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**...
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय ....

(ल)पता –निवासी बंजारा बास, जावली, अलवर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1– श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 25.01.2023 को परिवादी श्री अनिल बंजारा पुत्र श्री पप्पुराम निवासी बंजारा बास, जावली, लक्ष्मणगढ, अलवर मय श्री बबलूराम नट के एसीबी मुख्यालय पर उपस्थित होकर उचित माध्यम के मार्फत एक प्रार्थना इस आशय का पेश किया कि मैं अनिल बंजारा ग्रा0 जावली, पोस्ट–जावली, त0 लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर का रहने वाला हूँ। मैंने वर्ष 2022 में अनिता नट पुत्री रामजीलाल जाति नट ग्राम बांसपरसा पोस्ट बोरदा, तह0 बौंली जिला सवाई माधोपुर से अन्तरजातीय विवाह किया था तथा डा0 सविता वेद अम्बेडकर अन्तरजातीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 5:00 लाख रूपये की सहायता राशि मिलती है। अतः सहायता राशि प्राप्त करने के लिए लगभग 5–6 महिने पहले समाज कल्याण विभाग सवाई माधोपुर में ई–मित्र के जरिये ऑन लाईन आवेदन किया था। परन्तु अभी तक मुझे सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करने पर वहां पर सवाई माधोपुर में पदस्थापित कर्मचारी जतिन हाडा, जो DLO के पद से नीचे है। कार्य करता है। मुझसे सहायता राशी स्वीकृत करने की एव जमें व प्रक्रिया में सहयोग करने, वह बिना रूकावट राशी पास करवाने के लिए 40,000/– की मांग कर रहा है। संभावनान है कि इसमें जतिन हाडा स्वयं के लिए व ऊपर सवाईमाधोपुर समाज कल्याण विभाग मिना आर्य कि भी मिलीभगत है। मैं जतिन हाडा को रिश्वत के 40,000/– नहीं देना चाहता। मैं उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूँ। मेरा जतिन हाडा से पूर्व में कोई रंजिश या पैसे के लेन–देन का झगडा नहीं है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बंध में मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने प्रार्थना–पत्र की ताईद करते हुए बताया कि मेरा अनिता नट पुत्री रामजीलाल जाति नट ग्राम बांसपरसा पोस्ट बोरदा, तह0 बौंली जिला सवाई माधोपुर से वर्ष 2022 में अर्न्तजातीय विवाह हुआ था, अर्न्तजातीय विवाह करने पर सरकार की तरफ से पांच लाख रूपये की सहायता राशि मिलती है, जिसके लिए मैंने जरिये ई–मित्र, सवाई माधोपुर में 5–6 महिने पहले आवेदन किया था। सहायता राशि प्राप्त नहीं होने पर मैंने सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग में जाकर सम्पर्क करने पर मुझे डीएलओ के पद से नीचे के पद पर पदस्थापित श्री जतिन हाडा ने कहा कि आपकी सहायता राशि स्वीकृत करने की एवज में आपको 40,000/– रूपये देने पडेंगे। इस पर मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर उसने कहा कि आपकी पांच लाख रूपये सहायता राशि स्वीकृत नहीं होगी। आपका आवेदन रद्द हो जायेगा। इस पर मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने पर भी वह नहीं मान रहे हैं, मैं उनको रिश्वत के रूप में कोई पैसा नहीं देना चाहता हूँ तथा जतिन हाडा को रिश्वत लेते हुए मैं रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके कार्यालय में आया हूँ। उससे मेरी कोई रंजिश नहीं है। समाज कल्याण विभाग में किया हुआ आवेदन की प्रति मैं ई–मित्र से निकलवाकर बाद में पेश कर दूंगा। विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश करता हूँ, उक्त सम्बन्ध में मैंने मेरे मोबाईल में संदिग्ध से हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग की है, जो मैंने आपके बताने पर आपके कार्यालय की ई–मेल आईडी पर भेज दी है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त रिकॉर्डिंग को ई–मेल से डाऊनलोड करवाकर कम्प्यूटर में चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया, जिससे भी मामला रिश्वत लेन–देन का पाया जाना प्रतीत हुआ। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री अनिल बंजारा से पूछा कि आपका व संदिग्ध का कोई उधार का लेन–देन तो बकाया नहीं है, जिस पर परिवादी ने बताया की मेरा संदिग्ध से कोई उधार का लेन देन बकाया नहीं है व ना ही कोई आपसी रंजिश है। चूंकि परिवादी के प्रार्थना पत्र के अवलाकेन तथा मजीद दरियाफ्त एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई मोबाईल कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने से मामला रिश्वत मांग का प्रतीत होने से अग्रिम कार्यवाही से पूर्व रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी के साथ में आये व्यक्ति बबलूराम नट ने बताया कि मेरी बहिन की शादी परिवादी श्री अनिल बंजारा से वर्ष 2022 में

होना ताईद किया गया। तत्पश्चात् बाद अवलोकन परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात् कार्यालय से कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 को तलब कर परिवादी श्री अनिल बंजारा से परिचय करवाया गया तथा सत्यापन की कार्यवाही के सम्बंध में अवगत कराने पर परिवादी ने बताया कि अभी सवाईमाधोपुर पहुंचने में काफी वक्त लग जायेगा जिससे कार्यालय बन्द हो जाने पर संदिग्ध भी नहीं मिलेगा तथा कल दिनांक 26.01.2023 को कार्यालय बन्द रहेगा। मैं दिनांक 27.01.2023 को संदिग्ध से मिल सकता हूँ। जिस पर परिवादी को आईन्दा संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने के लिये उसके कार्यालय में जाने से पूर्व कानि0 श्री रमजान अली को सूचित करने की हिदायत की गई तथा कानि0 को परिवादी द्वारा सूचित करने पर नियमानुसार विभागीय रिकॉर्डर लेकर परिवादी को सुपुर्द करने की हिदायत की गई। परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 27.01.2023 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के साथ कानि0 श्री रमजान अली नं0 466 को परिवादी से सम्पर्क करने हेतु कार्यालय से रवाना किया गया।

दिनांक 27.01.2023 को प्रकरण में गोपनीय सत्यापन करवाया गया। दिनांक 30.01.2023 को श्री रमजान अली कानि0 466 ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत कर बताया कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी तथा कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर के मध्य रिश्वत मांग के सन्दर्भ में हुई वार्ता रिकॉर्ड है। जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोडकर उसमें रिकॉर्ड वार्ताओं को चलाकर सुनने पर पाया कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री अनिल बंजारा एवं संदिग्ध श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर के मध्य वार्ता हुई है जिसमें उक्त संदिग्ध द्वारा परिवादी के अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु किये गये आवेदन के सम्बंध में वार्ता कर उक्त आवेदन पर आब्जेक्शन नहीं लगा कर राशि स्वीकृत कराने की एवज में परिवादी से रिश्वत मांग करना तथा परिवादी के पास वरवक्त रिश्वत राशि कम होने पर परिवादी को उसके कार्य कराने का आश्वासन देकर आईन्दा रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु कहने की पुष्टि होना पाया गया।

तत्पश्चात परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पूर्व से तलबिदा स्वतंत्र गवाहान श्री रवि बुनकर पुत्र श्री कजोडमल बुनकर उम्र 28 साल निवासी बी–191, नेहरू नगर, पानीपेंच, जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, जयपुर रीजन, झालाना डूंगरी, जयपुर तथा श्री भुवनेश कुमार बैरवा पुत्र श्री ग्यारसीलाल बैरवा निवासी 404, मनोहर वाली गली, नम्बर–18, झालाना ग्राम, मालवीय नगर, जयपुर थाना मालवीय नगर, जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, जयपुर उपस्थित आये। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही के आयोजन के बारे में अवगत कराकर गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों ही स्वतंत्र गवाहान ने स्वेच्छा से अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतत्र गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री अनिल बंजारा से परिचय करवाया गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को दिखाया तथा पढाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी के मध्य दिनांक 27.01.2023 को रिश्वती राशि मांग सम्बन्धी वार्ता, जो वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सुनाई गई। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि अभी पैसो की व्यवस्था नहीं हो पायी है। आईन्दा मैं पैसों की व्यवस्था कर आपको सूचित कर दूंगा। तत्पश्चात् परिवादी के बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की संदिग्ध अधिकारी से उसके

मोबाईल से वार्ता करवाई जाकर होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया।

दिनांक 01.02.2023 को परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आये। जिस पर उक्त दोनों गवाहान को प्रकरण में परिवादी द्वारा पूर्व में जरिये ईमेल प्रेषित वॉयस क्लिप, जो परिवादी के मोबाईल फोन में रिकॉर्ड है तथा जिसमें दिनांक 24.01.2023 को परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य मोबाईल फोन पर रिश्वत मांग के सम्बंध में हुई वार्ता रिकॉर्ड है, को लेपटॉप में चलाकर दोनों गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात परिवादी के मोबाईल फोन को जोडकर उसमें रिकॉर्ड उक्त वार्ता, दिनांक 24.01.2023 को परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत मांग के सम्बंध में रिकॉर्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वॉयस क्लिप को स्वतंत्र गवाहान को स्वतंत्र गवाहान को सुनाया जाकर उसका मिलान वार्ता रूपान्तरण से करवाया गया तो मिलान हुबहु होना पाया गया। तत्पश्चात् कार्यालय से दो खाली सीडी की व्यवस्था कर उक्त परिवादी के मोबाईल में सेव उक्त रिकॉर्ड वॉयस क्लिप की दो सीडी बर्न की जाकर सील्डमोहर कर मार्का अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। जिसकी फर्द वार्ता रूपान्तरण एवं बर्न सीडी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी को मोबाईल में रिकॉर्ड उक्त वार्ता को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी को संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछा तो परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अपने पास से संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 30,000/–रूपये जिनमें पांच–पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/– रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। तत्पश्चात उक्त सभी नोटों के नम्बर अंकित (फर्दानुसार) किये गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त नोटों पर नियमानुसार उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष कार्यालय की आलमारी से श्री कमलेश कानि0 नं0 293 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्री कमलेश कानि0 नं0 293 से कार्यालय कक्ष की टेबल पर अखबार बिछाकर उक्त अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों पर तथा दोनों खाली लिफाफो पर अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री भुवनेश कुमार से परिवादी श्री अनिल बंजारा की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री कमलेश कानि0 नं0 293 से परिवादी के शर्ट के उपर की बांयी तरफ की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 30,000/–रू. संदिग्ध अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये। तत्पश्चात् नियमानुसार फर्द दृष्टान्त की कार्यवाही क गई। परिवादी तथा ट्रेप टीम को आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। श्री कमलेश कानि0 को कार्यालय में रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यावाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पावडर मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात उपरोक्त मौतबिरान एवं समस्त ट्रेप पार्टी को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही करते हुये ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रैप पार्टी सदस्य सर्वश्री कमल नयन, उप अधीक्षक पुलिस, पन्नालाल कानि0 9, रमजान अली कानि. 466, धर्म सिंह, कानि., श्री हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ सहायक, सरकारी वाहन एवं चालक मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप कम्प्यूटर प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर सवाईमाधोपुर पहुंचा। अब तक के हालात श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष निवेदन किये गये। जहां पर कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के सामने स्थित आईटीआई कॉलेज, सवाईमाधोपुर के मुख्य दरवाजे से कुछ दूरी पर सडक के किनारे खडा करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की समझाईस कर रिकॉर्डर सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत

के संदिग्ध अधिकारी से वार्ता करने हेतु रवाना किया। उनके पीछे–पीछे स्वतंत्र गवाहान को रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं ट्रैप पार्टी के सदस्य अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

कुछ समय पश्चात् कानि0 श्री रमजान अली ने मुझे जरिये दूरभाष अवगत कराया कि परिवादी श्री अनिल को छोटा साला श्री राजू कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर के पास उपस्थित है तथा उसने परिवादी से वार्ता कर मुझे अवगत कराया है कि संदिग्ध श्री जतिन परिवादी से रिश्वत राशि ऑन लाईन लेना चाहता है जिसके बारे में उनके मध्य वार्ता हुई है। संदिग्ध अधिकारी ने रिश्वत राशि ऑन लाईन लेने के लिये परिवादी को कलेक्टरी, सवाई माधोपुर के बाहर स्थित कोई ई–मित्र की दूकान पर चलने के लिये कहा है। जिस पर कानि0 को परिवादी पर निगरानी रखने की हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात परिवादी एक व्यक्ति की स्कूटी पर उसके पीछे बैठकर कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर से बाहर निकलकर आईटीआई कॉलेज, सवाई माधोपुर के सामने की तरफ की रोड पर स्थित तिराये के पास रूका, जहां पर उक्त व्यक्ति ने परिवादी को अपनी स्कूटी से उतार दिया तथा स्वयं वहां पर खडे अन्य लोगों से बातचीत करने लग गया। तत्पश्चात परिवादी अपने साले श्री राजू के साथ उसकी मोटरसाईकिल पर बेठकर आगे चला गया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कानि0 श्री रमजान अली को परिवादी से सम्पर्क करने की हिदायत कर कानि0 श्री पन्नालाल को परिवादी के पीछे–पीछे रहने की आवश्यक हिदायत की गई। थोडी ही देर बाद कानि0 श्री रमजान अली ने परिवादी से सम्पर्क कर बताया कि परिवादी ने मुझे बताया है कि वह जिस व्यक्ति के पीछे बैठकर स्कूटी से कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर से बाहर निकला था, वह संदिग्ध कर्मचारी श्री जतिन हाडा है। उसने मुझे रिश्वत राशि ऑनलाईन देने के लिये कहकर मुझे कलेक्टरी, सवाई माधोपुर के पास पहुंचने के लिये कहा है तथा वह स्वयं यहां आकर किसी ई–मित्र वाले की दूकान से उक्त रिश्वत राशि मुझसे ऑन लाईन प्राप्त करेगा। अभी वह वहां अपने किसी परिचित से वार्ता करने के लिये रूक गया है तथा मुझे कलेक्टरी हेतु कहकर यहां भेज दिया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार उक्त स्कूटी का चालक ही संदिग्ध कर्मचारी है जो सडक पर स्थित दूकान पर आस–पास खडे लोगों से वार्ता कर रहा है। इसलिये उक्त संदिग्ध कर्मचारी के बारे में स्वतंत्र गवाहान एवं अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यों को अवगत कराया जाकर उक्त पर निगरानी रखने की आवश्यक हिदायत की गई। कुछ समय पश्चात उक्त संदिग्ध व्यक्ति अपनी स्कूटी से सवाई माधोपुर कस्बे के लिये रवाना हुआ, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों को हमराह लेकर सवाई माधोपुर कस्बे के लिये रवाना होकर कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर के मुख्य गेट के पास पहुंचे। जहां कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर के मुख्य दरवाजे पर परिवादी खडा हुआ दिखाई दिया, जिस पर सरकारी वाहन को कलेक्ट्रेट, सवाई माधोपुर के मुख्य दरवाजे से कुछ दूरी पहले खडा करवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को परिवादी के आस पास अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये परिवादी पर निगरानी रखने की आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि आदान–प्रदान की निगरानी में मूकीम हुआ। काफी समय तक संदिग्ध व्यक्ति परिवादी के पास उपस्थित नहीं हुआ। अब रात्रि का समय होने को है तथा करीबन 07 बजने वाले है। जिस पर परिवादी को अलग बुलाकर संदिग्ध अधिकारी से मोबाईल पर सम्पर्क करने की हिदायत हुई तत्पश्चात परिवादी ने अपने मोबाईल फोन से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल फोन पर फोन किया तो पहले तो संदिग्ध अधिकारी ने फोन को रिसीव नहीं किया तथा बाद में संदिग्ध अधिकारी ने परिवादी को फोन रिसीव कर कहा कि तुम कल अपने दस्तावेज लेकर कार्यालय में आ जाना। इसके बाद संदिग्ध अधिकारी ने अपना फोन काट दिया। परिवादी ने बताया कि अब संदिग्ध अधिकारी

उससे नहीं मिलेगा क्योंकि वह मुझसे ऑनलाईन रिश्वत राशि लेना चाहता है तथा अभी उसने मुझे दस्तावेज लेकर कार्यालय में बुलाया है। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार अब आगे की कार्यवाही की जाना सम्भव नहीं है। तत्पश्चात् परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने बताया कि उसे अपने ससुराल में कार्य होने के कारण उसे ससुराल में जाना पडेगा। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कानि0 श्री रमजान अली से परिवादी के पहने हुये शर्ट की जेब में रखवाई गई रिश्वत राशि निकलवाई जाकर गिनवाया गया तो उक्त 500–500 रूपये के कुल 60 नोट होकर कुल 30,000/– रूपये होना पाया गया। जिसे कानि0 श्री रमजान अली को अपने पास सुरक्षित रखने की हिदायत कर सुपुर्द की गई। तत्पश्चात् परिवादी को उसके साले श्री राजू के साथ मौके से मामले में गोपनीयता बनाये रखने तथा दिनांक 02.02.2023 को एसीबी कार्यालय जयपुर उपस्थित आने की हिदायत कर रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के साथ रवाना होकर ब्यूरो मुख्यालय पहुंचा। जहां पर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप आदि साजो सामान कार्यालय में रखवाये गये। स्वतंत्र गवाहान के समक्ष रिश्वत राशि कानि0 श्री रमजान अली से प्राप्त कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवायी गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.02.2023 को स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप की सहायता से चलाकर सुना गया तो रिश्वत लेन–देन के समय परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य की रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से उसके डा0 सविता बेन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के आवेदन के सम्बंध में वार्ता करना तथा परिवादी के उक्त कार्य के एवज में परिवादी से रिश्वत राशि ऑनलाईन प्राप्त करने के आशय सम्बंधी वार्ता करने की पुष्टि होना पाया गया। तत्पश्चात् परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया। जिसने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर उससे ऑन लाईन रिश्वत प्राप्त करेगा। क्योंकि संदिग्ध अधिकारी ने कल मुझे ऑन लाईन राशि प्राप्त करने के बारे में कहकर रिश्वत राशि नहीं ली थी तथा रिश्वत राशि ऑन लाईन प्राप्त करने हेतु उसने मुझे कलेक्ट्री, सवाईमाधोपुर के आगे ई–मित्र पर जाने के लिये कहा था। वह मुझसे रिश्वत राशि हाथ में लहीं लेकर ऑन लाईन लेना चाहता है। मेरे पास इतने रूपयों की व्यवस्था नहीं है कि मैं ऑन लाईन उसको राशि दे सकूं, मेरे को यही राशि मेरे खाते में डालकर उसे ऑन लाईन देनी पडेगी। जिस पर परिवादी ने उक्त रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार तथा रिश्वत राशि आदान–प्रदान के समय परिवादी तथा संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुनने से स्पष्ट होता है संदिग्ध अधिकारी परिवादी से रिश्वत राशि सीधे अपने हाथ में प्राप्त करना नहीं चाहता है। वह उक्त रिश्वत राशि को ऑन लाईन प्राप्त करना चाहता है। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् कानि0 श्री कमलेश नं0 293 को कार्यालय कक्ष में तलब कर पूर्व में कानि0 श्री रमजान अली से कार्यालय की आलमारी मे रखवाये गई रिश्वत राशि कानि0 कमलेश नं0 293 से निकलवाई जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अनिल को सुपुर्द की गई तथा परिवादी को हिदायत की गई कि उक्त रिश्वत राशि अपने बैंक खाते में डलवाकर आईन्दा संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में जाकर उससे अपने काम के सन्दर्भ में वार्ता करे तथा उसके मांगने पर उक्त रिश्वत राशि को संदिग्ध अधिकारी के कहे अनुसार उक्त को ऑन लाईन प्रदान करें। रिश्वत आदान–प्रदान के समय संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेवे। कार्यालय का डिजीटल वॉयस

रिकॉर्डर लेकर कानि0 रमजान अली आपसे सवाईमाधोपुर में सम्पर्क कर लेगा। तत्पश्चात् परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को बाद हिदायत रूखसत किया गया।

दिनांक 03.02.2023 को परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को जरिये दूरभाष सूचित किया गया कि वह दिनांक 06.02.2023 को संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय में जाकर उससे वार्ता करेगा। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई तथा दिनांक 06.02.2023 को कानि0 श्री रमजान अली नं0 465 को कार्यालय से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बाद हिदायत सवाईमाधोपुर हेतु रवाना किया गया। थोडे समय पश्चात् कानि0 श्री रमजान अली ने जरिये दूरभाष मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी संदिग्ध अधिकारी से मिलने के लिये उसके कार्यालय में गया था परन्तु उक्त अधिकारी/कर्मचारी अवकाश पर होने के कारण वार्ता नहीं हो पाई है। तत्पश्चात दिनांक 07.02.2023 को कानि0 श्री रमजान अली द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्रस्तुत करने पर उसको सरसरी तौर पर सुना जाकर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 23.02.2023 को परिवादी मन् उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष कार्यालय में उपस्थित आया। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री रवि बुनकर तथा श्री भुवनेश कुमार से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर कार्यालय मे तलब किया गया। परिवादी ने एक प्रार्थना पत्र लिखित में पेश कर बताया कि दिनांक 20.02.2023 को डा0 सविता बेन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत मेरे खाता संख्या XXXXXXXX00220209 पीएनबी शाखा कनवाडा, पो0 जावली, तह0 लक्ष्मणगढ जिला अलवर, राज0 में 2,50,000/– रूपये आ गये हैं और 2,50,000/– रूपये की एफडी हो गई है। जिसका मेरे मोबाईल पर मैसेज आया है। अब मेरा कोई काम शेष नही है। अतः मैं प्रकरण में अब कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। रिश्वती राशि के तीस हजार रूपये दिये थे, जो मैं पूर्व में प्राप्त कर चूका हूँ, जो मेरे से खर्च हो गये है। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी के समक्ष कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड निकलवाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दिनांक 27.01.2023, 30.01.2023 तथा 01.02.2023 की रिकॉर्ड वार्ताऐं कम्प्यूटर के माध्यम से दोनों गवाहान के समक्ष चलाकर परिवादी को सुनाई जाकर उक्त में रिकॉर्ड वार्ता में आवाज की पहचान करवाई जाकर फर्द वार्ता रूपान्तरण मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं की नियमानुसार सीडियां तैयार कर शील्ड कर मार्का अंकित किया गया। तत्पश्चात् डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड, जिसमें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के माध्यम से उक्त वार्ताओं की वॉयस क्लिप्स सेव की गई है, को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर मार्का अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात प्रकरण में अब तक के जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अब तक की कार्यवाही से परिवादी द्वारा प्रस्तुत की गई दिनांक 24.01.2023 की मोबाईल कॉल की रिकॉर्डिंग से संदिग्ध श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी के डा0 सविता बेन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु किये गये आवेदन पर आब्जेक्शन नहीं लगाकर स्वीकार कर राशि स्वीकृत कराने की एवज में अनुचित लाभ की मांग करना पाया गया तथा इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.01.2023 को परिवादी तथा संदिग्ध श्री जतिन हाडा के मध्य हुई वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई है, से संदिग्ध द्वारा परिवादी के डा0 सविता बेन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु किये गये आवेदन के सम्बंध में वार्ता करना, उक्त आवेदन पर आब्जेक्शन नहीं लगाकर स्वीकार कर राशि स्वीकृत कराने की एवज में परिवादी से अनुचित लाभ की मांग करना तथा परिवादी के पास वरवक्त रिश्वत राशि कम होने पर प्राप्त नहीं कर परिवादी को उसके कार्य कराने का आश्वासन देकर

आईन्दा स्वयं द्वारा बताई गई रिश्वत राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु कहने की पुष्टि होना पाया गया। इसी कम में रिश्वत राशि लेन–देन के समय परिवादी तथा संदिग्ध श्री जतिन हाडा के मध्य की रिकॉर्ड वार्ता में संदिग्ध अधिकारी का परिवादी से उसके डा0 सविता बेन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के आवेदन के सम्बंध में वार्ता कर परिवादी के उक्त कार्य के एवज में परिवादी से रिश्वत राशि नगद नहीं लेकर परिवादी से रिश्वत राशि को ऑन लाईन देने हेतु कहना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि ऑनलाईन स्वयं के पास नहीं होना कहना पाया गया। जिस कारण तत्समय दोनों के मध्य रिश्वत राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका।

परिवादी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही नहीं करवाने बाबत लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अब तक की कार्यवाही से संदिग्ध कर्मचारी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी के अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु विभाग में किये गये आवेदन पर आब्जेक्शन नहीं लगाकर स्वीकार कर उसकी राशि स्वीकृत कराने की एवज में परिवादी से अनुचित लाभ की मांग करना तथा दिनांक 01.02.2023 को उक्त मांग के क्रम में परिवादी से रिश्वत राशि नगद नहीं लेकर परिवादी से रिश्वत राशि को ऑन लाईन देने हेतु कहना प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध कर्मचारी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की श्रेणी में आता है। तत्पश्चात् उक्त आरोपी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर का सेवा विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से संदिग्ध कर्मचारी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर द्वारा परिवादी के अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि हेतु विभाग में किये गये आवेदन पर आब्जेक्शन नहीं लगाकर स्वीकार कर उसकी राशि स्वीकृत कराने की एवज में परिवादी से अनुचित लाभ की मांग करना पाये जाने से आरोपी का उपरोक्त कृत्य प्राथमिक तौर पर अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का पृथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन शर्मा, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान इकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री जतिन हाडा, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाईमाधोपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 81/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12/4/23
(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक:-648-51 दिनांक 12.4.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

12/4/23
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।